संख्या–705/XIX/2004

प्रेषक,

डा0 आर0एस0 टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग

दिनांक 13 सितम्बर, 2004

विषयः राजकीय खाद्यान्न वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।

महोदय,

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि बी0पी0एल0, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, मध्याह्न भोजन एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले खाद्यान्नों का वितरण सुनियोजित रीति से नहीं हो रहा है। इस संबंध में विभिन्न स्रोतों से भी यह जानकारी प्राप्त होती रहती है कि इन योजनाओं का खाद्यान्न वास्तविक लाभार्थियों को प्राप्त नहीं हो रहा है, साथ ही यदा कदा यह शिकायतें भी प्राप्त होती रहती हैं कि इन योजनाओं का खाद्यान्न लाभार्थियों में वितरित करने के स्थान पर खुले बाजार में बेच दिया जाता है।

आप अवगत हैं कि खाद्यान्न संबंधित योजनाएं प्रदेश में मुख्यतः गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के खाद्यान्न का निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त अन्यथा प्रयोग जहाँ एक ओर राज्य सरकार की योजनाओं को विफल करता है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की छवि पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शासन की घोषित नीति एवं कार्यक्रमों के अनुसार खाद्यान्न केन्द्रित योजनाओं के सुचारू संचालन एवं सुदृढ़ीकरण के संबंध में विचार–विमर्श के उपरान्त शासन स्तर पर निम्न निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त खाद्यान्न केन्द्रित योजनाओं के शत् प्रतिशत सुचारू संचालन के निमित्त एक सप्ताह का सघन जांच का कार्यक्रम निर्धारित किया जाय। जिसके अन्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में निम्नांकित स्तरों पर जांच की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(1) जनपद के समस्त गोदाम (बेस एवं आन्तरिक) पर स्टाक का भौतिक सत्यापन।
(2) भारतीय खाद्य निगम/बेस गोदामों से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्नों का संचरण।
(3) भारतीय खाद्य निगम/बेस गोदामों से संचरण के आधार पर ब्लॉक/आन्तरिक गोदामों एवं सस्ते गल्ले की दुकानों में खाद्यान्नों की प्राप्ति।
(4) सस्ते गल्ले की दुकानों से लाभार्थियों को वितरण।
(5) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत गोदामों में खाद्यान्न की प्राप्ति।
(6) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वितरित खाद्यान्न के कूपनों की स्थिति।
(7) लाभार्थियों के स्तर पर प्राप्त खाद्यान्नों का सत्यापन।

उक्त सत्यापन की कार्यवाही निम्न प्रकार की जायेगी :–

1– प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा कम से कम एक गोदाम का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण में बेस/ब्लॉक/आन्तरिक गोदाम में प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा तथा निर्गत मात्रा का मिलान करते हुए वर्तमान स्टाक का सत्यापन किया जायेगा। इस गोदाम से निर्गत खाद्यान्न का सत्यापन रैन्डम आधार पर किसी एक सस्ते गल्ले की दुकान में किया जायेगा और सस्ते गल्ले के विक्रेता द्वारा जारी खाद्यान्नों का मिलान कार्डधारकों के कार्डों से किया जायेगा। जिलाधिकारी इस प्रकार एक सस्ते गल्ले की दुकान से सम्बद्ध 50% लाभार्थियों को प्राप्त

खाद्यान्न का सत्यापन करेंगे। इस प्रक्रिया में उनके द्वारा उस दुकान से सम्बद्ध अन्त्योदय तथा अन्नपूर्णा के शत प्रतिशत लाभार्थियों को प्राप्त खाद्यान्न का भी सत्यापन किया जायेगा।

2– मुख्य विकास अधिकारियों तथा अपर जिलाधिकारियों द्वारा उक्त रीति से गोदामों के सत्यापन के उपरान्त कम से कम 5 सस्ते गल्ले की उन दुकानों का सत्यापन किया जायेगा जो सड़क मार्ग से कम से कम 02 किमी० की दूरी में हों। इन अधिकारियों द्वारा उचित दर की दुकानों से सम्बद्ध 50% लाभार्थियों को निर्गत खाद्यान्न का सत्यापन किया जायेगा तथा अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के अर्न्तगत लाभार्थियों को वितरित किये गये खाद्यान्न का शत् प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा।

3– जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा 7 सस्ते गल्ले की दुकानों का सत्यापन (प्रति अधिकारी) किया जायेगा जिसमें कम से कम 75% लाभार्थियों द्वारा प्राप्त खाद्यान्न का सत्यापन किया जायेगा। इन अधिकारियों द्वारा भी अन्नपूर्णा योजना तथा अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्राप्त होने वाले खाद्यान्न का शत् प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा।

4– अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना में प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 76,300 तथा 10,500 है, जिनकी सूची जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारियों के पास उपलब्ध है। जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपदों में उपरोक्त दोनों खाद्यान्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत होने वाले खाद्यान्नों का शत–प्रतिशत सत्यापन करा लिया जाये तथा भविष्य में भी जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स के अधिकारियों के माध्यम से मासिक रूप से सत्यापन कराया जाये।

5– आयुक्त खाद्य द्वारा बी०पी०एस०, अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा के लाभार्थियों को वितरित खाद्यान्न के नियमित सत्यापन एवं निरीक्षणों के संबंध में पूर्व में ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अतः निर्गत निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की मासिक समीक्षा की जाये तथा अनुपालन न होने की दशा में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

6– निरीक्षणों एवं सत्यापनों के समय यह भी देख लिया जाये कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों के कार्ड अपने पास तो नहीं रखे गए हैं अथवा उनके पास फर्जी राशन कार्ड तो नहीं हैं।

7– मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में संभागीय खाद्य नियंत्रक, भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त खाद्यान्न, जिलापूर्ति अधिकारियों को हस्तान्तरित तथा जिलापूर्ति अधिकारियों द्वारा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित खाद्यान्न का मिलान मासिक आधार पर करेंगे। संभागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा उक्तनुसार मिलान नवम्बर, 2000 से प्रारम्भ कर आगे के प्रत्येक मास के लिए किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से जारी खाद्यान्न तथा शिक्षा विभाग को प्राप्त कराये गए खाद्यान्न में, यदि कोई अन्तर आता है, तो वह खाद्यान्न की अन्तर मात्रा खाद्य विभाग के गोदामों में अवशेष होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो अन्तर मात्रा के संबंध में गहन जांच कर ली जाये। संभागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा उक्त कार्य में जिला पूर्ति अधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों का सहयोग लिया जायेगा और प्रत्येक दशा में मिलान का कार्य दिनांक 25–9–2004 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। भविष्य में मिलान का कार्य मासिक आधार पर किया जायेगा।

8– सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा खाद्यान्न का आवंटन जारी किया जाता है, जिसके लिये उनके द्वारा संबंधित केन्द्र प्रभारी/पूर्ति निरीक्षकों के हस्ताक्षर प्रमाणित कर उन्हें भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। इसके उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉक/वितरण गोदामवार खाद्यान्न का ब्रेकअप जारी किया जाता है, जिसके अनुसार गोदाम प्रभारी द्वारा संबंधित उचित दर विक्रेता को खाद्यान्न निर्गत किया जाता है। जहाँ से प्रोजेक्ट डायरेक्टर

द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जारी किये गये कूपन के आधार पर उचित दर विक्रेता द्वारा संबंधित को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

इस संबंध में जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में परगनाधिकारियों, तहसीलदारों, खण्ड विकास अधिकारियों एवं आवश्यकतानुसार जनपद के अन्य अधिकारियों के माध्यम से जांच करायेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से लेकर उचित दर विक्रेता की दुकान से संबंधित को निर्गत होने वाले खाद्यान्न का किसी स्तर पर कोई दुरूपयोग तो नहीं हो रहा है। इस निमित्त जिलाधिकारी एक टास्क फोर्स का भी गठन करेंगे, जो रैन्डम आधार पर टेस्ट चैकिंग का कार्य करेंगे, एवं उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से शासन एवं खाद्य आयुक्त को उपलब्ध करायेंगे।

कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही कर शासन को दिनांक 18-9-2004 तक अनिवार्य रूप से बिन्दुवार वस्तुस्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें।

यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त खाद्यान्न योजनाओं के सुचारू संचालन से संबंधित व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिये फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन हेतु यदि कोई प्रभावी एवं कारगर सुझाव हों तो जिलाधिकारी अविलम्ब शासन को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव।

संख्या- 705(1)/XIX/2004तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, हल्द्वानी/पौढ़ी गढ़वाल
3. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तरांचल।
4. संभागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ संभाग, उत्तरांचल।
5. समस्त उप संभागीय विपणन अधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
6. विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
7. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
9. सहायक आयुक्त, खाद्य, गढ़वाल/कुमायूँ संभाग, उत्तरांचल।
10. समन्वयक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव।